अपने अधिकारों के बारे में जानें

माइग्रेंट कर्मचारियों और वीज़ाधारकों के अन्य ऑस्ट्रेलियन कर्मचारियों के समान कार्यस्थल अधिकार होते हैं। इनको कानून का संरक्षण प्राप्त है। फेयर वर्क ऑमबड्समैन मुफ्त सेवा प्रदान करता है, और ऑस्ट्रेलिया में काम करते समय आपके अधिकारों को समझने में आपकी सहायता कर सकता है। इनमें शामिल है:

- तनख्वाह की न्यूनतम दरें
- काम की अन्य न्यूनतम शर्तें, जिनमें छुट्टी या कार्यसमय के दौरान ब्रेक, काम पर सुरक्षाएं, जिनमें
- भेदभाव से मुक्त रहने का अधिकार शामिल है

सभी नियोक्ताओं के लिए इन कानूनों का पालन आवश्यक है। उदाहरण के लिए, वे कानून द्वारा तय की गई न्यूनतम राशि से कम नहीं दे सकते, अगर कोई कर्मचारी इसके लिए राजी हो तो भी नहीं।.

अपने कार्यस्थल अधिकारों के बारे में जानकारी के लिए, आप www.fairwork.gov.au पर जा सकते हैं, फेयर वर्क ऑमबड्समैन से 13 13 94 पर फोन करके संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको एक दुभाषिये की जरुरत है, तो अनुवाद व दुभाषिया सेवा को 13 14 50 पर फोन करें।

और अधिक जानकारी या गोपनीय सलाह के लिए कृपया ऑस्ट्रेलियन रैड क्रॉस से संपर्क करें।

फो. 03 9345 1800
ई. national_stpp@redcross.org.au
वे. redcross.org.au/workrighthub

This Modern Slavery grant activity received grant funding from the Australian Government.

HINDI

Australian Red Cross

ऑस्ट्रेलिया में आधुनिक गुलामी प्रचलित है

ऑस्ट्रेलिया में काम पर गंभीर शोषण एक अपराध है। अगर आपका या आपके किसी जान-पहचान वाले का काम पर शोषण हो रहा है, तो सहायता उपलब्ध है।

ऑस्ट्रेलिया में सभी कर्मचारियों के मूल अधिकार होते हैं जो कानून द्वारा संरक्षित होते हैं। ये कानून विदेशों से आए कर्मचारियों सहित सभी कर्मचारियों की रक्षा करते हैं, चाहे ऑस्ट्रेलिया में उनके रहने की अवधि कितनी भी हो या उनका वीज़ा किसी भी प्रकार का हो।

काम पर आपके साथ उचित बर्ताव होना चाहिए।

आधुनिक गुलामी उसे कहते हैं जब व्यक्तियों का शोषण करने के लिए और उन्हें उनकी स्वतंत्रता से वंचित रखने के लिए दबाव, धमकी या छल प्रयोग किया जाता है। ये ऑस्ट्रेलिया में गंभीर अपराध हैं और इनमें जबरन श्रम, मानव तस्करी, पराधीनता, और ऋण बंधन शामिल है।

जबरदस्ती मजदूरी ऐसा कोई भी काम होता है जिसे कोई व्यक्ति अपनी इच्छा के विरुद्ध जबरदस्ती या सजा की धमकी के कारण करता है। मानव तस्करी उसे कहते हैं जब किसी को शोषण के उद्देश्य के लिए चालाकी से, डराकर या जबरदस्ती भर्ती किया जाता है या ले जाया जाता है। ऐसा कृषि, आतिथ्य, निर्माण, सफाई और सेक्स उद्योग सहित किसी भी उद्योग में हो सकता है।

पराधीनता, उसे कहते हैं जब कोई व्यक्ति खुद को काम करना बंद करने या काम छोड़ने के लिए स्वतंत्र नहीं मानता, क्योंकि धमकियों, दबाव या छल के कारण वह व्यक्ति काम के बाहर के अपने जीवन के क्षेत्रों में अपनी निजी आजादी से वंचित होता है। घरेलू पराधीनता, घरेलू कामों के संदर्भ में होती है, जब परिस्थितियों और स्थितियों में गुलामी जैसी प्रथाओं का नित्य प्रयोग होता है।

ऋण बंधन तब होता है जब किसी की व्यक्तिगत सेवाओं का उपयोग ऋण चुकाने के लिए किया जाता है और उधार या जिसके बकाया होने का दावा किया जाता हो वो राशि बहुत ज्यादा हो, या उधार चुकाने के लिए कोई व्यक्ति जितना काम करता है वो यथोचित नहीं है।

शोषण के संकेत

- जबरदस्ती काम कराया जा रहा है
- बहुत कम समय के ब्रेक के साथ लंबे समय तक काम कराया रहा है
- उचित तनख्वाह नहीं मिलती
- यात्रा, आवास, कपड़े, भोजन, परिवहन या काम के दस्तावेजों के लिए एक भर्तीकर्ता या नियोक्ता को एक बड़ा कर्जा चुका रहे हैं
- अपना कार्य स्थल नहीं छोड़ सकते या शर्तों पर बातचीत नहीं कर सकते
- काम पर डराया या धमकाया जा रहा है, जैसे कि कहा जा रहा है कि आपको निर्वासित कर दिया जाएगा या परिवार के सदस्यों को नुकसान पहुंचाया जाएगा
- अपने पासपोर्ट या अन्य पहचान दस्तावेजों तक तक नहीं पहुंच सकते
- एक डॉक्टर को नहीं दिखा सकते या चिकित्सा उपचार नहीं पा सकते

अगर आप किसी के घर में काम करते हैं तो, ये भी शोषण के संकेत होते हैं:

- व्यक्तिगत कारणों से घर से बाहर कभी नहीं या बहुत ही कम निकल सकते हैं
- केवल नियोक्ता की देखरेख में ही घर से बाहर निकलने की अनुमति है
- परिवार या दोस्तों के साथ संपर्क की अनुमति नहीं दी जा रही है
- आपका फोन आपसे ले लिया गया है
- एक साझा या अनुचित जगह पर सोना पड़ रहा है और निजी स्थान के लिए कोई जगह नहीं है
- अपमान, अपमानजनक बर्ताव, दुर्व्यवहार या हिंसा की जा रही है
- नींद और भोजन की कमी झेल रहे हैं

सहायता उपलब्ध है

रैड क्रॉस सलाह और सहायता देता है, तथा आपको सहायता के लिए अन्य सेवाओं के पास भी भेज सकता है। दुभाषिया सेवाएं उपलब्ध हैं।

03 9345 1800 पर फोन करें या
national_stpp@redcross.org.au
पर ईमेल करें

एक सहायता कार्यक्रम भी है जो लोगों की उनके जीवन को ठीक करने और पुनर्निर्माण करने में सहायता करता है। यह कार्यक्रम लोगों को रहने के लिए किसी सुरक्षित स्थान की खोज करने में सहायता करता है, चिकीत्सीय देखभाल, काउंसलिंग तथा कानूनी और माइग्रेशन सलाह, वित्तीय सहायता, शिक्षा और प्रशिक्षण या नौकरी ढूँढने, तथा सामाजिक संपर्क पाने के लिए सहायता प्रदान करता है। इस कार्यक्रम के बारे में रैड क्रॉस आपको और अधिक बता सकता है।

इस काम के लिए, सामाजिक कार्य विभाग द्वारा, ट्रैफिक्ड पीपल प्रोग्राम के लिए सहायता के तहत धनराशि उपलब्ध कराई जाती है।

नि:शुल्क और गोपनीय कानूनी सलाह के लिए, एंटीस्लेवरी ऑस्ट्रेलिया से 02 9514 8115 पर संपर्क करें या ASALegal@uts.edu.au पर ईमेल करें

अगर कोई आपातस्थिति है या किसी की सुरक्षा खतरे में है तो पुलिस को 000 पर फोन करें। आधुनिक गुलामी के एक संभावित मामले की खबर देने के लिए ऑस्ट्रेलियन फैडरल पुलिस को 131 237 पर फोन करें।

अगर इस स्थिति में कोई बच्चा भी शामिल है तो बाल सुरक्षा कानून के तहत अनिवार्य रुप से खबर देने का दायित्व हो सकता है।